संख्या-152/2026/आई0/1389152/2026-5-6099/318/2021-6

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 09 जुलाई, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय सोनबरसा (बलिया), जनपद-बलिया के भवन निर्माण हेतु अन्तिम किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-217/17फ/नि0नि0अ0/2026-27, दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या-20/2017/3007/पॉच-6-2016-22(नि0)/2016, दिनांक 04.01.2017, शासनादेश संख्या-158/2020/673/पॉच-6-2020-22(नि0)/2016, दिनांक 25.06.2020, शासनादेश संख्या-95/2021/844/पॉच-6-2021-22(नि0)/2016टी0सी0, दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या-272/2021/746/पॉच-6-2021-22(नि0)/2016टी0सी0, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या-5/2022/2876/पॉच-6-2021-22(नि0)/2016टी0सी0, दिनांक 07.01.2022, शासनादेश संख्या-67/2022/आई0/151113/2021/5-6099/318/2021-5, दिनांक 29.03.2022, शासनादेश संख्या-160/2022/आई0/202917/2021-5-6099/318/2021-6, दिनांक 18.08.2022, शासनादेश संख्या-79/2023/आई0/293500/2023-5-6099/318/2021-6, दिनांक 26.03.2023, शासनादेश संख्या-272/2023/आई0/411104/2023-5-6099/318/2021-6, दिनांक 19.10.2023, शासनादेश संख्या-91/2025/आई0/913501/2025-5-6099/318/2021-6, दिनांक 21.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-148/2025/आई0/976492/2025-5-6099/318/2021-6 दिनांक 29.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.2017 द्वारा रूपये 2515.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 350.00 लाख अवमुक्त किया गया। शासनादेश दिनांक 25.06.2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 100.00 लाख, शासनादेश दिनांक 19.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रूपये 400.00 लाख, शासनादेश दिनांक 23.10.2021 द्वारा रूपये 2927.25 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। शासनादेश दिनांक 07.01.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रूपये 400.00 लाख, शासनादेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा पांचवी किश्त के रूप में रूपये 262.48 लाख, शासनादेश दिनांक 18.08.2022 द्वारा छठी किश्त के रूप में रूपये 585.45 लाख, शासनादेश दिनांक 26.03.2023 द्वारा सातवीं किश्त के रूप में रूपये 603.38 लाख, शासनादेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा तीसरी किश्त की अवशेष धनराशि रूपये 79.57 लाख, शासनादेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रूपये 98.59 लाख को सम्मिलित करते हुए रूपये 3025.84 लाख की संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आय-व्ययक में उपलब्ध अवशेष धनराशि रूपये 13.05 लाख तथा शासनादेश दिनांक 29.05.2025 द्वारा स्वीकृत

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संशोधित पुनरीक्षित लागत रूपये 3025.84 लाख की 95 प्रतिशत तक की धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 80.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय सोनबरसा (बैरिया), जनपद-बलिया के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रूपये 151.30 लाख (एक करोड इक्याबन लाख तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 तथा शासनादेश संख्या-20/2017/3007/पाँच-6-2016-22(नि0)/2016, दिनांक 04.01.2017, शासनादेश संख्या-158/2020/673/पाँच-6-2020-22(नि0)/2016, दिनांक 25.06.2020, शासनादेश संख्या-95/2021/844/पाँच-6-2021-22(नि0)/2016 टी0सी0, दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या-272/2021/746/पाँच-6-2021-22(नि0)/2016टी0सी0, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या-5/2022/2876/पाँच-6-2021-22(नि0)/2016टी0सी0, दिनांक 07.01.2022, शासनादेश संख्या-67/2022/आई0/151113/2021/5-6099/318/2021-5, दिनांक 29.03.2022, शासनादेश संख्या-160/2022/आई0/202917/2021-5-6099/318/2021-6, दिनांक 18.08.2022, शासनादेश संख्या-79/2023/आई0/293500/2023-5-6099/318/2021-6, दिनांक 26.03.2023, शासनादेश संख्या-272/2023/आई0/411101/2023-5-6099/318/2021-6, दिनांक 19.10.2023, शासनादेश संख्या-91/2025/आई0/913501/2025-5-6099/318/2021-6, दिनांक 21.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-148/2025/आई0/976492/2025-5-6099/318/ 2021-6 दिनांक 29.05.2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
5. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
9. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
10. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,51,30,000 (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखाशीर्षक** 4210021101500-100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना **मानक मद-**24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0.1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उनको प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ/बलिया।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।